

Date

22/05/2021

Subject - New Efforts in Elementary Education

DE-Ed

9th

Chapter Topic - Recommendations related to Education

1) अनुच्छेद - 14 - विधि के समक्ष समता

[Equality According to Law]

नागरिकों को विधि के समक्ष समता के क्षेत्र में भी सम्यक् क्षेत्रों के साथ-साथ समानता का अधिकार दिया गया है।

2) अनुच्छेद - 15(4) - सामाजिक/औसतिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान

अनुच्छेद 15(4) के अनुसार - "राज्य किसी सामाजिक तथा औसतिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।"

3) अनुच्छेद - 46 के अनुसार - "सर्विधान इस बात का आदिवान करता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।"

3) अनुच्छेद - 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अन्य सभी क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही प्रावधान लागू होते हैं।

Continue - - -